अपने अधिकार को पहचाने

अगर आप की आयु १८ वर्ष से कम है और :

- किसी ने आपके बदन को छूआ है या फिर आपको उसके बदन को छूने को कहा है जिससे आप शर्म या असुविधा महसूस करते हैं।
- या आपसे यौन संवंधी भाषा में बात किया है।
- आपको डरा कर या धमका कर १८ वर्ष से अधिक या कम उम्र के व्यक्ति के साथ यौन के लिए मजबुर किया है।
- आपका बिना कपड़ो में या यौन अवस्था में फोटो या वीडियो रेकॉर्डिंग की है, आपको यौन क्रिया दिखाया या सुनाया हो।
- आपको आपके घर से दूसरी जगह चाहे देश में या विदेश में लेगया हो और जबरन, डरा कर या धमका कर १८ वर्ष से अधिक या कम उम्र के व्यक्ति के साथ यौन के लिए मजबुर किया हो।
- अगर आपके साथ ऐसे कर्म के लिए चाहे पैसे या उपहार दिया गया हो।
- और ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जो परिवार का हो या फिर दोस्त, पड़ोसी, बाय्फ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, या वह बिल्कुल अंजान व्यक्ति हो (ऑनलाइन या ऑफलाइन)।

इसका मतलब है आप यौन शोषण के शिकार हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानून में एक अपराध है। आपके साथ ऐसी हरकत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। क्योंकि आपको यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहने का अधिकार है :

आपके साथ हुए कार्य के लिए कोई आपको दोषी नहीं मान सकता क्योंकि इसमे आपकी कोई गलती नहीं हैं।

किसी भी व्यक्ति की तरह आपके भी अधिकार है। वो ऐसी चोजें हैं जो एक बच्चे को खुश, स्वस्थ एवं सुरक्षित जिंदगी दे सकता है। व्यस्क जैसे की माता पिता, शिक्षक एवं सरकार की जिम्मेदारी है की वे आपको ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे आप इन अधिकारों का उपयोग कर सकें। यह पोस्टर आपको उन अधिकारों के बारे मे बताता है जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेन्षन और ऑप्षनल प्रोटोकॉल ऑफ, सेल ऑफ चिल्ड्रेन, चाइल्ड प्रॉस्टिट्यूशन और अन्य अंतरराष्ट्रीय संधि में दिए गये हैं। यह पोस्टर आपके जैसे बच्चों के मदद से तैयार किया गया है ताकि आपको अपने सुरक्षा एवं देखभाल के बारे में जानकारी मिल सके।

संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्षन के चार सामान्य सिद्धांत हैं जिन्हे बच्चों के हर अधिकार के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए :

- **आपको अधिकार है किसी भी भेदभाव से सुरक्षा का**
  शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस अधिकारी, वकील एवं अन्य लोगों की जिम्मेदारी है की वो आपसे न्यायपूर्वक व्यवहार करें एवं आपके अधिकारों की पूर्ण रूप से सुरक्षा करें बिना भेदभाव किए की आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं या किसे प्रेम करते हैं।
- **आपको अधिकार है की आपके सर्वश्रेष्ठ हित का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाए**
  आपसे संबंधित लिए गये हर कार्य एवं फैसलों का आधार यह होना चाहिए की आपके लिए श्रेष्ठ क्या है।
- **आपको अधिकार है जिंदगी एवं विकास का**
  आपको अधिकार है एक सुरक्षित वातावरण का और स्वस्थ रूप से बड़े होने का। आपको इसकी जानकारी देने में बड़ो को मदद करनी चाहिए।
- **आपको अधिकार है सुने जाने का एवं आपके बारे में लिए गये फैसलों को प्रभावित करने का**
  जब बड़े लोग कोई फैसला ले रहें हों जो आपको प्रभावित कर रहा हो तब आपको अधिकार है बिना संकोच कहने का कि आपके नजर में फैसला क्या होना चाहिए और अधिकार है आपकी बात गंभीरता पूर्वक सुने जाने का।

यौन शोषण एवं दूर्व्यवहार पीड़ित बच्चों के विशिष्ट अधिकार :

१ आपको आपके साथ किए गये दुर्व्यवहार को रिपोर्ट करने का अधिकार है

आपके साथ बीते हुए या हो रहे घटना को किसी सुरक्षित व्यक्ति अथवा विश्वसनीय संस्था को बताने में आपको किसी तरह का भय या शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। एक सुरक्षित व्यक्ति वह है जिसने आपको कभी भी हानी नहीं पहुँचाई है। यह व्यक्ति परिवार का सदस्य, शिक्षक, दोस्त, वकील, डॉक्टर, या सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। अगर आप किसी सुरक्षित व्यक्ति या विश्वसनीय संस्था से मदद माँगते हैं तब हो सकता है उन्हे पुलिस को सूचित करना पड़े कि आपके साथ क्या हुआ है।

२ आपको अधिकार है सुरक्षा का

आपके सुरक्षा के अधिकार में यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार से बचाव का अधिकार शामिल है। पुलिस का कर्तव्य है कि वह अपराध का पता लगाए एवं रोके और आपको मुसीबत और दुष्ट लोगों से बचाव में मदद करे। आपकी जरूरत को पुरा करने के लिए एवं सहारा देने के लिए पुलिस अक्सर वकील, डॉक्टर एवं सामाजिक कार्यकर्ता के साथ काम करती है।

३ आपको अधिकार है उनलोगों के खिलाफ आपराधिक शिकायत करने का जिन्होंने आपको हानि पहुँचाई है

आपको अधिकार है तय करने का कि आप उनलोगों के खिलाफ आधिकारिक शिकायत करना चाहते हैं जिन्होंने आपको हानि पहुँचाई है। अगर आप शिकायत करते हैं तो पुलिस को चाहिए की वो उसकी छान बीन करे। अभियोजक, न्यायधीश और वकील के साथ मिलकर पुलिस को आपकी शिकायत जल्द से जल्द निपटाना चाहिए।

४ आपको अधिकार है कानूनी कार्यवाही के दौरान विशेष व्यवहार का

कानूनी कार्यवाही में आपकी भूमिका अहम है। हो सकता है कि आपको अपनी कहानी एक से ज्यादा बार दोहरानी पड़े और न्यायालय भी जाना हो। यह मुश्किल हो सकता है लेकिन कानूनी कार्यवाही आपके लिए कभी हानिकारक नहीं होना चाहिए। अगर कानूनी कार्यवाही के दौरान ऐसी कोई भी बात होती है जो आपको भयभीत या परेशान करती है तो आप बोलें ताकि आपके मदद के लिए विशेष उपाय किए जा सके।

५ आपको अधिकार है मदद पाने का जिससे कानूनी कार्यवाही आपके लिए आसान हो सके

कानूनी कार्यवाही के दौरान आपको कानूनी सलाह, अनुवाद या कानून प्रणाली जानने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी मदद कभी-कभी आपको मुफ्त में मिल सकती है अस्पताल में, पुलिस थाना में, अभियोजक के कार्यालय में, न्यायालय में या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा। सामुदायिक संस्था जैसे की कानूनी सहायता समितियाँ या बाल अधिकार संगठन भी आपकी मदद कर सकते हैं।

६ आपको अधिकार है कानूनी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा का

आपको एवं आपके परिवार को कानूनी प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार है। कोई भी आपको आपकी कहानी को बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है या आपके बयान को वापस लेने के लिए नहीं कह सकता है।

७ आपको अधिकार है कानूनी प्रक्रिया के दौरान आपकी गोपनीयता के सम्मान का

पुलिस, अभियोजक, न्यायधीश एवं वकील को सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी कोई भी जानकारी बाहर ना जाने पाए जो आपकी पहचान में मदद करता हो (जैसे की नाम, पता एवं फोटो)।

८ आपको अधिकार है मुफ्त चिकित्सा एवं सामाजिक सेवाओं का जो आपको कानूनी कार्यवाही से पहले एवं उसके दौरान जो आपको सामना करने में या ठीक होने में मदद करे।

आपको अधिकार है कि आपकी बुनियादी जरूरतें पूर्ण हों जैसे की भोजन, कपड़े एवं आश्रय। इसके अलावा आपको अपनी शिक्षा जारी रखने का अधिकार है और किसी भी प्रकार की देखभाल और सहारे की जिसकी आपको जरूरत है जैसे की स्वास्थ्य उपचार एवं सलाह। इन सुविधाओं को पाना इस बात पर नहीं निर्भर है कि कोई आपराधिक शिकायत किया गया है या नहीं।

९ आपको अधिकार है कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी पाने का

आपको अधिकार है यह जानने का कि आपके शिकायत पर क्या कार्यवाही हो रही है। आपको जानकारी ऐसी भाषा में दी जाए जो आपको समझ आती हो। आपको किसी भी समय सवाल पूछने का पूर्ण अधिकार है।

१० आपको अधिकार है आप पर किए गये नुकसान के भरपाई का दावा करने का

आप पैसे या किसी अन्य चीज को पाने लिए उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकतें हैं जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया है ताकि उसकी भरपाई हो सके। आप सरकार द्वारा पैसे पा सकते हैं ताकि आप परामर्श एवं स्वास्थ्य जैसे सोवाओं पर किए गये खर्च को पूरा कर सकें।

इस पोस्टर को पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपको अपने अधिकारों के वारे में जानने का अधिकार है। यहाँ बहुत से लोग एवं संस्थाएँ हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको सुरक्षा दे सकते हैं जिनमे सामाजिक सेवाएँ, स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं हेल्पलाइन शामिल हैं।

अगर आप या कोई जिसे आप जानते हैं मुसीबत में है और आपको नहीं पता कि क्या करें तब आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन पर फोन करें, वे आपको बताएँगे कि आपको कैसे मदद मिल सकती है।

पता करें आपके देश में कौन आपकी मदद कर सकता है : www.ecpat.org / where-we-work
अपने राष्ट्रीय हेल्पलाइन को देखें : www.childhelplineinternational.org / where-we-work

ecpat

* यह पोस्टर स्वीडिश इंटरनॅशनल डेवेलपमेंट कोवापरेशन एजेन्सी (सिडा) के उदार वित्तीय सहायता द्वारा तैयार किया गया है।

मदद के लिए कॉल करें : चाइल्डलाइन 1098